न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 7/2018 (राजसमन्द डिक्री)

दावल पीर देवता शाश्वत अवयस्क जरिये समस्त मुस्लिम समुदाय रेलमगरा के प्रतिनिधि :–

1. अब्दुल रहमान पिता अमीरदीन जी, जाति रंगरेज, निवासी रेलमगरा
2. ईस्माईल उर्फ मांगुदीन पिता पीर बख्श, जाति रंगरेज, निवासी रेलमगरा
3. ईमामुदीन पिता फाजल जी, जाति मंसूरी, निवासी रेलमगरा
4. रमजुदीन पिता मोहम्मद बख्श, जाति मंसूरी, निवासी रेलमगरा
5. अल्लानूर पिता जमाल जी, जाति रंगरेज, निवासी रेलमगरा
6. मोहम्मद हुसैन पिता खुदाबख्श, जाति रंगरेज, निवासी रेलमगरा
7. रज्जाक पिता पीर मोहम्मद, जाति मंसूरी, निवासी रेलमगरा
8. अल्लानूर पिता अली मोहम्मद, जाति मंसूरी, निवासी रेलमगरा
9. कासम पिता नूर मोहम्मद जी, जाति मंसूरी, निवासी रेलमगरा

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. अली पिता नूरशाह, जाति मुसलमान (फोत) के बजाय :–

1/1. उलफत पिता अलीशाह, जाति मुसलमान, निवासी रेलमगरा

1/2. बाबु हुसैन पिता अलीशाह, जाति मुसलमान, निवासी रेलमगरा

1/3. फुली पिता अलीशाह पत्नी युनुस जी, जाति मुसलमान, निवासी रेलमगरा निवासी पोटला, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)

1/4. खातुन विधवा अलीशाह, जाति मुसलमान, निवासी रेलमगरा

2. ईस्माइल पिता नूरशाह, जाति मुसलमान, निवासी रेलमगरा
3. खाजु खां पिता नूरशाह, जाति मुसलमान (फोत) के बजाय :–

3/1. सद्दीक मोहम्मद पिता खाजु खां, जाति मुसलमान, निवासी रेलमगरा

3/2. बीबा पिता खाजु खां पत्नी मुंशीशाह, जाति मुसलमान, नि0 रेलमगरा

4. हसना पिता नूरशाह, जाति मुसलमान, निवासी रेलमगरा
5. रमेशचन्द्र पिता प्रभूलाल जी, जाति माली, निवासी रेलमगरा
6. बाबू हुसैन पिता मुमताज हुसैन, जाति मुसलमान, निवासी रेलमगरा

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 रा0 का0
अ0–1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा दिनांक
22–01–2018 प्रकरण सं. 34 / 2016

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री मुकेश शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय दिनांक 16–05–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट / वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट / प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रेलमगरा में समस्त मुसलमान समाज की एक मस्जिद है, उस जगह पहले दावल पीर जी का स्थान था और दावल पीर जी के स्थान पर ही रेलमगरा गांव के मुसलमानों ने मस्जिद का निर्माण कराया। पूर्व महाराणा उदयपुर ने दावल पीर जी को रेलमगरा में 9 बीघा भूमि दी थी, जिसमें से कुछ भूमि आबादी की है, जिसके बाद में आराजी नंबर 1538 से 1540 बने, जो गत पैमाईश के नंबर थे। यह भूमि दावल पीर जी स्थान की सेवा करने, धूप, अगरबत्ती आदि करने व गांव के मुसलमानों के बलावे करने व सामाजिक सेवा करने के बिल एवज पूजनार्थ दी थी और गांव के फरीक घीसा मदारी को पुजारी नियुक्त किया था। रेलमगरा गांव के मुसलमानों ने बाद में उक्त दावल पीर जी के स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया व उसमें इबादत करते हैं, उस जगह आज भी दावल पीर का चिला मौजूद है। व्याह, शादी पर दूल्हा वहां सलाम कर धूप, अगरबत्ती कर नारियल चढ़ाकर शादी करने जाती है व बराबर मुस्लिम समाज दावल पीर की इबादत करता है। घीसा मदारी फकीर के वंश में कोई नहीं रहने से बाद में नाथूशाह फकीर को उक्त कार्य के लिए नियुक्त किया गया, जिसके बिल एवज उन्हें आराजी नंबर 1832 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा सिपुर्द किया, जिस पर एक मकान बना है उसे रहने को दिया गया। उक्त नाथूशाह व उसके वंशों की हैसियत मात्र सेवा, खिदमत कर भूमि के उपयोग करने की थी। वर्तमान पैमाईश में उक्त भूमि के नये नंबर 1832 / 1, 1832 / 2, 1832 / 3 व

1832/4 बने हैं, जो क्रमशः ईस्माईल, हसना, अली व खाजू पिता नूरशाह के नाम अंकित कर दी गयी है। उक्त भूमि दावल पीर जी की माफी पूजनार्थ भूमि थी, जो एक देवता है, जिसकी भूमि किसी के खाते अंकित नहीं की जा सकती, प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि गलत रूप से अपने खाते करवा ली है तथा खुर्द–बुर्द व किस्म परिवर्तन कर भूमि का रूपान्तरण कराकर प्लोट बनाकर विक्रय करने पर आमादा हैं। अतएवं निवेदन किया कि हाल आराजी नंबर 1832/1, 1832/2, 1832/3 व 1832/4 दावल पीर जी के खातेदारी की घोषित की जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें तथा अपना कब्जा हटा लेवे व दौराने वाद कार्यवाही किसी प्रकार का किस्म परिवर्तन व निर्माण करा लेवें तो उसे आदेशात्मक आज्ञा से पूर्ववत बहाल कराया जावे।

उक्त दावा प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा खण्डन का विस्तुत जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में दिनांक 23–10–2017 को प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने वादग्रस्त भूमि दावल पीर जी की बताते हुए वाद प्रस्तुत किया है, परन्तु विवादित भूमि दावल पीर जी के खाते अंकित हो, इस बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे वादीगण को उक्त वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण ने वाद पत्र की कलम संख्या 5 में वादग्रस्त भूमि दावल पीर जी स्थान की अपनी पूजनार्थ भूमि होना बताया है एवं फकीर घीसा को आसामी नियुक्त करना वाद पत्र की कलम संख्या 2 में बताया है, जबकि उक्त भूमि दावल पीर जी की भूमि नहीं है और यदि माफी की भूमि भी हो तो उस स्थिति में भी जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1959 में राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 01–01–1959 में आदेश दिनांक 24–04–1962 के तहत उक्त अधिनियम की धारा 21 व 22 के अनुसार जागीर रिजम्शन के समय यदि प्रतिवादीगण के काश्त के रूप में कब्जे में भी रही हो तो प्रतिवादीगण के पूर्वज स्वतः उक्त अधिनियम की धारा 9 व 15 के तहत खातेदार बन चुके हैं और ऐसे खातेदारी अधिकार जागीर पुर्नग्रहण के समय अंकित हो गयी हो तो ऐसी स्थिति में संवत् 2016 में प्रतिवादीगण के पूर्वज खातेदार की हैसियत से चले आ रहे हैं। यहां तक कि मेवाड़

सेटलमेन्ट में भी प्रतिवादीगण के पूर्वज नूरा वल्द नाथू फकीर के नाम दर्ज चली आ रही है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के पूर्वज माफी की भूमि में भी खातेदार कृषक बन चुके हैं, जिससे भी वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। स्वतंत्र राज्य बनने से पूर्व वादग्रस्त भूमि मेवाड़ राज्य की थी। तत्कालीन समय मेवाड़ में राज्य में माल मेवाड़ अधिनियम था एवं उस समय वादग्रस्त भूमि यदि देवताओं के नाम दर्ज थी तो भी उसका खडमदार प्रतिवादीगण के पूर्व नूरा वल्द नाथू फकीर था, जिससे कानून माल मेवाड़ की धारा 5 व 38 के अनुसार खड़मदार भूमि को विक्रय करने, दान करने, रहन व वसीयत करने का अधिकार था। वादीगण का वाद विधि वर्जित है। अतएवं खारिज किया जावे।

प्रकरण में उक्त आवेदन का जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह तय हो चुका है कि वादग्रस्त भूमियां दावल पीर के नाम पर अंकित है। यहां तक कि न्यायालय आप, माननीय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर एवं माननीय राजस्व मण्डल के मूल निर्णय एवं रिव्यू के निर्णय तक न्यायालय आप द्वारा जिस आधार पर अर्थात वादग्रस्त भूमियों को दावल पीर जी की मानकर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। वादग्रस्त भूमियां प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम पर केवल पूजा के रूप में दी गयी थी, प्रतिवादीगण दावल पीर जी देवता की भूमि को अपने नाम किसी भी रूप में अंकित कराने के अधिकारी नहीं हैं, न ही उसके आधार पर खातेदार कृषक बन सकते हैं। प्रार्थीगण द्वारा जो तथ्य लिये गये हैं वह आदेश 7 नियम 11 के स्कोप में नहीं आते हैं। दावल पीर जी देवता की जमीन को किसी को भी हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता, न ही उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। आदेश 7 नियम 11 में वर्णित आधारों पर यह वाद खारिज योग्य नहीं है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने दिनांक 22–01–2018 से प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–03–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से वकील श्री मुकेश तलेसरा उपस्थित हुए।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख उजर यह लिया कि इस प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 11–05–2005 को जारी होकर अपीलान्टगण के पक्ष में निस्तारित हुआ है, जिसकी अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत होने पर स्थगन आदेश वर्ष 2004 से लेकर 2018 तक प्रभावी था। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आवेदन के तहत दावा एवं जवाबदावा उपलब्ध होने के बावजूद तनकियात बनाये जाने के स्थान पर आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी फाईडिंग के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निर्णय किया गया है, जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के स्कोप में नहीं आता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा न्यायालय के स्थगन के बावजूद विक्रय पत्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 के पक्ष में निष्पादित कर दिया है, जिसे शून्य घोषित कराने बाबत् पृथक से सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात एवं बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।
2. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर

उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

4. जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

5. जहां यह दो प्रतियों में फाईल नहीं किया जाता है।

6. जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन इस आधार पर स्वीकार किया है कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त वाद लाने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है तथा उसका प्रमुख आधार यह माना है कि प्रतिवादीगण का कथन कि भूमियां उसकी खातेदारी की हैं तथा कुछ भूमियां देवस्थान के नाम पर भी थी तो भी जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम एवं मेवाड़ माल कानून के तहत खडमदारी अधिकारों के कारण उक्त भूमियां अब दावल पीर जी स्थान के नाम नहीं रही हैं। स्पष्टतया आवेदक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा लिये गये समस्त आधार विधि एवं तथ्यों के मिश्रित बिन्दु हैं तथा प्रकरण में उनके द्वारा जवाबदावा भी पेश किया जा चुका था। किसी भी न्यायालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण किये जाने के लिए जहां विधि एवं तथ्यों का मिश्रित बिन्दु हो, वहां प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम की जाकर निर्णय किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना आख्यापक आधार के उक्त प्रकरण को विधि विरूद्ध माना है, जबकि प्रकरण में जितने भी बिन्दु रेस्पोन्डेन्ट आवेदक द्वारा अपने आवेदन आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में उठाये गये हैं, वे विधि व तथ्यों के मिश्रित बिन्दु हैं, जिन पर जवाबदावा भी प्रस्तुत किया गया है, तो अधिनस्थ न्यायालय के लिए यह अत्यन्त लाजमी था कि वे प्रकरण में तनकियात बनाकर उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर तथा यदि कोई प्रश्न विधि से संबंधित हो तो उस पर पहले सुनवाई कर प्रकरण का निर्णय करते। इस प्रकरण में तो प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वर्णित समस्त

बिन्दु विधि एवं तथ्यों के मिश्रित बिन्दु हैं, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–01–2018 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर यदि कोई नया पक्षकार है तो उसे भी लेकर तथा उसका जवाबदावा प्राप्त कर प्रकरण में तनकियात कायम कर तथा उभयपक्षों को सुनकर प्रकरण का नातिक निस्तारण विधिक प्रक्रिया के आलोक में करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16–07–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16–05–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

नारायणलाल दत्तक पुत्र भूरा कुम्हार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द। बनाम **कालू पिता प्रताप कुम्हार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**32 / 2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**रेलमगरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....18**.....माह.....**04**.....**2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**14**.....माह.....**12**.....सन् **2015** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री डूंगरसिंह कर्णावत**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**अनुपस्थित**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–04–2013 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**14**.....माह.....**12**.....**2015** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।